

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यापिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे को विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

काल सिद्धी केवल आपकीय प्रयोजन

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 024 दिनांक 29/03/2019

प्राची नन्द सिद्धी रावत डीडी रावत राम

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 104 (2) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण के माध्यम से कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण गति करने RS-36721/100

जरिये रजिस्ट्रार संख्या 1065/8687, 8686

दिनांक 29/03/2019 ...

P.No. 416 प्रकाश की रोड
जोधपुर

प्रमुखकार
नगर निगम, जोधपुर

सी+1
वासीय